

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 82/2011/जयपुर

मैसर्स एच.सी.एल. इनफिनिट लि०,
नया नाम – मैसर्स एच.सी.एल. इनाफोसिस्टम लि०,
0-8, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक।

.....व्यवसायी की ओर से

श्री रामकरण सिंह, उप राजकीय अभिभाषक।

.....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25.05.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27.12.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन प्रथम, संभाग-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत पारित आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने पर धारा 83 के तहत विवादित किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

अपील सं.	अपी.अधि. की अ.सं.	कर नि. आ. दि.	कर निर्धा.वर्ष	कर	आई.टी.सी.	शास्ति
82/11	64/अपील्स-II	31.03.09	2006-07	89,135/-	89,485/-	350/-

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधि में मल्टीफंक्शनल प्रिन्टर लीज पर दिये गये, जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया किन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा इसे 12.5 प्रतिशत से कर योग्य मानकर 8.5 प्रतिशत की दर से अंतर कर आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त सशक्त अधिकारी द्वारा राशि रुपये 89,485/- का आईटीसी कम अग्रेसित किया गया। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधि की प्रथम तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र 13 दिवस, द्वितीय 6 दिवस तथा चतुर्थ तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र 16 दिवस विलम्ब से पेश की गयी, जिसके कारण सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति रुपये 350/- आरोपित की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने व्यवहारी पर आरोपित कर को यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार की। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि उनके द्वारा विक्रीत वस्तु मल्टीफंक्शन अधिनियम की अनुसूची IV के आईटम संख्या 3 के अंतर्गत आती है, परन्तु अपीलीय अधिकारी ने अविधिक तौर पर इसको 12.5 प्रतिशत अनुसूची V में शुमार माना है इसके समर्थन में उन्होंने हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये इसी वस्तु पर दिये गये निर्णय **RGSTR 103(RHC) Ms Kores (India) Limited Vs The Assistant Commissioner, Anti Evasion Raj.7-Jaipur Decided on Feburary 19, 2016** का उद्धरण प्रस्तुत किया एवं कथन किया कि उनके द्वारा बिक्रीत मल्टीफंक्शनल मशीन पर अधिनियम की अनुसूची IVA के अंतर्गत कम्प्यूटर पैरीफैरलस होने के कारण 4 प्रतिशत से कर योग्य है तदनु रूप सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

6. विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा मल्टीफंक्शनल मशीन के कर योग्य पण्यवर्त पर 4 प्रतिशत से कर चुकाया है, जबकि इस पर तत्समय 12.5 प्रतिशत कर देयता थी, इस प्रकार जानबूझकर कर नजर अंदाज किया गया है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा किया गया करारोपण उचित होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश विधिक है। तदनुरूप व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाये एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को पुनर्स्थापित किया जावे।
7. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RGSTR 103(RHC) Ms Kores (India) Limited Vs The Assistant Commissioner, Anti Evasion Raj.7-Jaipur Decided on February 19, 2016 का अवलोकन किया गया जिसमें यह प्रतिपादित किया है कि :-

"The term "peripheral" has been defined in Oxford Dictionary to mean as under :-


(of a device) able to be attached to and used with computer, though not an integral part of it."


17. A multi-functional machine can be a computer peripheral, if its principal or sole purpose is to be attached and function as a computer ancillary. A multi-functional machine will be and qualify as a Computer peripheral when its main/predominant purpose is to scan documents, load data or work as an input device of the computer or work as an output device to take printouts, etc., from the computer. At the same time, there can be photo copiers, whose main purpose is to copy or act as duplicating machine to make copies of documents. Incidentally, they may also be used as a printer. This would, require elucidation and examination of factual matrix in each case and the machine in question on case to case basis."

Therefore upon a detailed analysis and with reference to various technical literature and material, the cases laws in favour of the Assessee, this court is satisfied that the commodity in question, namely. Multi-functional device could not be taxed by the Assessing Authority under the Residuary Entry for the period from 01.04.2006 to 09.03.2010, and the said commodity would fall within the ambit and scope of relating to computer printers and computer peripherals, taxable entry 4% in Schedule IV of the VAT Act."

8. उपरोक्त निर्णय मल्टीफंक्शन डिवाइसेज पर ही दिया गया है, जो हस्तगत प्रकरण उक्त निर्णय से पूर्णतया आच्छादित है। अतः कर के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का निर्णय अपास्त किया जाता है। राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी हाल ही में समान तथ्यों पर आधारित प्रकरण में अपने निर्णय मै0 कम्प्यूएज एन्फोकॉम लि0 बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 23.3.2017 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।
9. जहां तक आगत कर का मुद्दा है, चूंकि उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में करदेयता 4 प्रतिशत देय रही है अतः उक्त करदेयता के अनुरूप ही आगत कर अग्रेसित होगा न कि 12.5 प्रतिशत करदेयता की गणना करके। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाते हैं।
10. धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति पर विद्वान अधिवक्ता ने बल नहीं दिया है, अतः उक्त शास्ति यथावत रखी जाती है।
11. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाता है तथा कर एवं आई.टी.सी. के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाता है

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष